

# आदेश

रिट याचिका संख्या: 5317/2025 दीपा गौड़ बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा प्रारित आदेश दिनांक: 15.05.2025 के अनुपालन में याची महिला आरक्षी ना०पु० दीपा गौड़ के प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध पर "पुलिस स्थापना बोर्ड" द्वारा विचारोपशान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया है। याची को पति-पत्नी के पुलिस विभाग में नियुक्त होने के दृष्टिगत अनुकम्पा के आधार पर उनके नियुक्ति जनपद से उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान (कालम-8) में उनके निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या-एसपी-(ई-1)-(जनरल)- 347 / 2025 दिनांक: 16-07-2025 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

| क० सं० | पद            | पीएनओ नम्बर | कर्मि का नाम | गृह जनपद | पति-पत्नी का नाम/पदनाम /पीएनओ/नियुक्ति जनपद                                  | कहां से          | कहाँ को                   |
|--------|---------------|-------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1      | 2             | 3           | 4            | 5        | 6                                                                            | 7                | 8                         |
| 1      | आरक्षी ना०पु० | 212622032   | दीपा गौड़    | मऊ       | पति आरक्षी 182766624 सुशील गौड़ वर्तमान में कमिशनरेट वाराणसी में नियुक्त है। | यूपी 112 कुशीनगर | यूपी 112 कमिशनरेट वाराणसी |

DGP HQRS UP LKW



DG-IV-STHA-(347)/2025/903 DT 16-07-2025

(राहुल मिश्रा)

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना  
नि० पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्मिक  
उ०प्र० लखनऊ।

## मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सिग्नेचर भवन पुलिस मुख्यालय टावर-2, चतुर्थ तल, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ, लखनऊ-226002

संख्या:डीजी-चार-स्था०-(347)/2025/903

दिनांक:जुलाई 16, 2025

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

प्रतिलिपि: पुलिस अधीक्षक- कुशीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मि को तत्काल कार्यमुक्त कर प्रस्थान कराते हुए प्रस्थान कराने की तिथि से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि: पुलिस आयुक्त- कमिशनरेट वाराणसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त कर्मि के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो सम्बन्धित कर्मि को आगमन न कराते हुए तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ०प्र०, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, यूपी-112 मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ।